जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक-23.05.2025**

थाना थानाभवन पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 15 पाउच देशी शराब बरामदः-

आज दिनांक 23.05.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए गये अवैध शराब के अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के कुशल नेतृत्व में थाना थानाभवन पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को 15 पाउच देशी शराब महबूबा यूपी (मार्का) सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.इकराम उर्फ बूल्ली पुत्र अनीश निवासी मौहल्ला करीम बक्श कालेवाला कस्बा जलालाबाद थाना थानाभवन जनपद शामली

बरामदगी का विवरणः-

1.देशी शराब 15 पाउच महबूबा यूपी (मार्का)।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री पवन कुमार थाना थानाभवन जनपद शामली।

3.का0 शेखर सिंह थाना थानाभवन जनपद शामली।

थाना आदर्शमंडी/थानाभवन पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 02 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तारः-

आज दिनांक 23.05.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना आदर्शमंडी/थानाभवन पुलिस द्वारा वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 02 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सम्बन्धित थाने पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.राजकमल पुत्र कर्मवीर निवासी ग्राम सिक्का थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली।

2.राहुल पुत्र जुबैर निवासी मौहल्ला चमडा पेठ कस्बा व थाना थानाभवन जनपद शामली।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 02 अलग-अलग मामलों में 02 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई सजा व 3000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया:-

1.-वर्ष 2007 में अभियुक्त अंकित उर्फ देवेन्द्र पुत्र रामपाल निवासी ग्राम ऊंचागांव थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कोतवाली शामली पर मु0अ0सं0 1468/07 धारा 379/411 भादवि अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 23.05.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएम शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को दोषी पाते हुये जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व 2,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिवस का अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है।

2.- वर्ष 2010 में अभियुक्त दीपक पुत्र रमेश वाल्मिकी निवासी मौहल्ला पंसारियान थाना कोतवाली शामली जनपद शामली के विरुद्ध थाना कोतवाली शामली पर मु0अ0सं0 903/10 धारा 4/25 आर्म्स अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 23.05.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएम शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को दोषी पाते हुये जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व 1,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस का अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है।